पर्चा डिक्री

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरएएस

प्रकरण सं0 : 37/2021

1. राजकुमार पुत्र वलवंत जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त0 भादरा ।

:— वादी

ब ना म

1. वलवंत पुत्र गणपत जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त0 भादरा ।
2. महेन्द्रसिंह पुत्र वलवंत जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त0 भादरा।
3. सोमवीर पुत्र वलवंत जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त0 भादरा।
4. सुनीता पुत्री वलवंत जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त0 भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण सहायक कलक्टर फास्ट—ट्रैक भादरा के समक्ष वकील वादी श्री सुरेन्द्र वैनीवाल एवं वकील प्रतिवादीगण श्री विनोद शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर एवं वाद वादी सावित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शिवदानपुरा के खाता सं0 68/71 के खसरा सं0 63 की 3.4780है0 व खसरा सं0 94 की 3.4780है0 खसरा सं0 251 की 0.6960है0 खसरा सं0 262 की 3.8570है0 खसरा सं0 335 की 2.7690है0 कुल 14.2780है0 में प्रतिवादी सं0 1 वलवंत के नाम 1/2 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें तन्हा प्रतिवादी सं0 1 वलवंत की बजाय वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 4 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी राजकुमार, प्रतिवादी सं0 1 वलवंत प्रतिवादी सं0 2 महेन्द्रसिह,प्रतिवादी सं0 3 सोमवीर प्रतिवादी सं0 4 सुनीता को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28.6.21...... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:19:16 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
RAS
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

Scanned with CamScanner

न्यायालय : सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री सत्यनारायण आरण्या

प्रकरण सं0 : 37/2021

1. राजकुमार पुत्र बलवंत जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त0 भादरा ।

:— वादी

ब नाम

1. बलवंत पुत्र गणपत जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त0 भादरा ।
2. महेन्द्रसिंह पुत्र बलवंत जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त0 भादरा।
3. सोमबीर पुत्र बलवंत जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त0 भादरा।
4. सुनीता पुत्री बलवंत जाति जाट निवासी शिवदानपुरा त0 भादरा।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

:— प्रतिवादीगण

दावा बाबत : घोषणात्मक एवं रिकार्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 88 राज0काश्त0अधि0 1955

उपस्थिति : वकील श्री सुरेन्द्र बैनीवाल : वादी
वकील श्री विनोद शर्मा : प्रतिवादीगण

दिनांक : 28.6.21

निर्णय

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा शिवदानपुरा के खाता सं0 68/71 के खसरा सं0 63 की 3.4780है0 व खसरा सं0 94 की 3.4780है0 खसरा सं0 251 की 0.6960है0 खसरा सं0 262 की 3.8570है0 खसरा सं0 335 की 2.7690है0 कुल 14.2780है0 में प्रतिवादी सं0 1 बलवंत के नाम 1/2 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जो पहले वादी के दादा गणपत की खातेदारी हुआ करती थी। गणपत के बाद उक्त भूमि को प्रतिवादी सं0 1 बलवंत ने कर्ता खानदान होने के चलते तन्हा अपने नाम विरासतन दर्ज करवा ली।

वादी एंव प्रतिवादगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि से शासित होते है। वादभूमि वादीगण की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक एवं अधिकार निहित है। वादी अपनी बंटवारा की भूमि को समतल, उपजाउ बनाकर सुधार करना चाहते है जिसके लिए उन्हे केसीसी, ऋण आदि की आवश्यकता रहती है इसलिए वादी ने प्रतिवादीगण को उक्त वाद भूमि को अपने हक हिस्सा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवाने के लिए कहा तो वे ऐसा करने से साफ इन्कार हो गये लिहाजा यही बनाए मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के पश्चात प्रतिवादी सं 1 ता 4 द्वारा आपसी सहमती से दावा की सभी मद संख्या स्वीकार करते हुए अपने पहचान पत्र व दस्तावेजों के साथ राजीनामा पेश किया गया। प्रतिवादी सं 05 स्टेट की ओर से जवाब पेश किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा राजीनामा पेश किये जाने पर तनकी की कोई आवश्यकता नही है। अतः पत्रावली में साक्ष्य करवाया गया।

साक्ष्य वादी में पीडब्ल्यु 1 राजकुमार पुत्र बलवंत निवासी शिवदानपुरा द्वारा जमाबंदी रोही शिवदानपुरा खाता सं0 68/71 प्रदर्श 1 जमाबंदी खतौनी शिवदानपुरा प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत गढड़ा प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:19:16 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने वाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि वाद भूमि वादी की पैतृक कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक हिस्सा है। उक्त वाद भूमि प्रतिवादी सं 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज होने पर वादीगण के हकों पर विपरित असर पड़ता है। अतः मुताबिक राजीनामा व वाद में वर्णित भूमि पैतृक सम्पति साबित होने पर वाद वादी डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेज का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में वादी ने रोही शिवदानपुरा के राजस्व रिकार्ड में अपने पिता के नाम दर्ज भूमि में अपने हकों की घोषणा करवाने हेतु वाद पेश किया है। दस्तावेजी साक्ष्य में सत्यप्रतिलिपि जमाबंदी रोही शिवदानपुरा खाता सं0 68/71 प्रदर्श 1 जमाबंदी खतौनी शिवदानपुरा प्रदर्श 2 वारिस प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत गढड़ा प्रदर्श 3 प्रदर्शित करवाये। जिसमें प्रदर्श 2 से कृषि भूमि दादालाई पैतृक भूमि होना साबित है तथा प्रदर्श 3 वारिस प्रमाण के अनुसार बलवंत के तीन पुत्र राजकुमार, महेन्द्रसिंह, सोमबीर व एक पुत्री सुनीता तथा इनके अलावा कोई वारिस नहीं होना अंकित है। इस प्रकार प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य से उक्त वाद भूमि पैतृक कृषि भूमि होना साबित है तथा वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 4 जन्म से हक हिस्सा निहित है । इस प्रकार वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा व पैतृक सम्पति के आधार पर काबिल स्वीकार होने पर स्वीकृत किया जाता है। ।

क्रियात्मक आदेश

अत : वाद वादीगण साबित होने के कारण मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा शिवदानपुरा के खाता सं0 68/71 के खसरा सं0 63 की 3.4780है0 व खसरा सं0 94 की 3.4780है0 खसरा सं0 251 की 0. 6960है0 खसरा सं0 262 की 3.8570है0 खसरा सं0 335 की 2.7690है0 कुल 14.2780है0 में प्रतिवादी सं0 1 बलवंत के नाम 1/2 हिस्सा कृषि भूमि राजस्व रिकार्ड में दर्ज है उसमें तन्हा प्रतिवादी सं0 1 बलवंत की बजाय वादी तथा प्रतिवादी सं0 1 ता 4 को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है। यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त ही उपरोक्तानुसार वादी राजकुमार, प्रतिवादी सं0 1 बलवंत प्रतिवादी सं0 2 महेन्द्रसिह, प्रतिवादी सं0 3 सोमबीर प्रतिवादी सं0 4 सुनीता को बहिस्सा बराबर के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.6.21......... को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Satya Narayan
Date: 2021.08.02 11:19:16 IST
Reason: SelfAttested

(सत्यनारायण)
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) भादरा R.A.S.
सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक)
भादरा, जिला हनुमानगढ़

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट (फास्ट ट्रैक) भादरा

Scanned with CamScanner